

**निदेशक मण्डल, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद की  
256वीं बैठक दिनांक 24 जून, 2022 का कार्यवृत्त**

**विषय सूची**

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
256/1	परिषद की 255वीं बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 255वीं बैठक दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
256/2	परिषद की 255वीं बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 255वीं बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 की अनुपालन आख्या अवलोकन किया गया।
256/3	वित्तीय वर्ष-2021-22 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-2022-23 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/4	दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले एन०पी०एस० से आच्छादित परिषद कर्मियों को अंशदान के भुगतान किये जाने के संबंध में।	लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव के संबंध में वर्ष 2005 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को वित्त विभाग से राय लेकर उन्हें सी०पी०एफ० दिये जाने तथा एन०पी०एस० से संबंधित प्रकरण को शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/5	राजाजीपुरम योजना स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या- 12/4001/8ए, 12/4001/9ए, 12/4001/10ए एवं 12/4001/11ए के आवंटन पुनर्जीवन एवं दण्ड ब्याज माफी पर निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को रेखांकित करते हुए एक पालिसी तैयार कर निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/6	परिषद की बहुमंजिली परियोजनाओं (फ्लैटों) में हेतु समूह पर आवेदन	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित

*14*

*10/11*

	किये जाने पर छूट हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।		किया गया।
256/7	विशिष्ट कारणों से अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम वायर्स को राहत पहुँचाने हेतु प्रस्तावित नीति/नियम को मा0 निदेशक मण्डल की 255वीं बैठक में अंगीकृत एवं अनुमोदित होने के उपरान्त शासन द्वारा प्राप्त निर्देश दिनांक 24-01-2022 के क्रम में प्रकरण में निर्णय प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/8	परिषद की राजेन्द्र नगर योजना संख्या-2, बरेली में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-एम0एल0टी0-01 की बकाया धनराशि की वसूली एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में बोर्ड के कार्यवृत्त जारी तिथि से 06 माह का समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/9	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय/आवासीय/ स्कूल भूखण्ड/बल्क सेल सम्पति के निस्तारण सम्बन्धी यथा संशोधित मार्च 2016 पुनः संशोधित अप्रैल 2022 मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/10	(A) अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने हेतु डा0 राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सेवा निवृत्त, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को परिषद हित में ओ0एस0डी0-अयोध्या के पद पर पुनः एक वर्ष के लिए	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	<p>अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>(B) 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में स्थापित विधि अनुभाग में ओ0एस0डी0 विधि का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के संबंध में।</p> <p>(C) 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>		<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p> <p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
256/11	<p>अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने हेतु अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 अधिकारी को 01 वर्ष के लिये संविदा पर रखे जाने के संबंध में।</p>	प्रशासन	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
256/12	<p>परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में स्थित पुराने अस्थायी स्ट्रक्चर में संचालित केन्द्रीय प्रयोगशाला को इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-18 में स्थित सामुदायिक केन्द्र परिसर में शिफ्ट करने तथा साथ ही गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना खण्ड-01 व 02 तथा गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना वृत्त के कार्यालय सामुदायिक केन्द्र परिसर में शिफ्ट करने एवं सामुदायिक सुविधा हेतु भवन निर्माण के सम्बन्ध में।</p>	अभियंत्रण	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
256/13	<p>जेम पोर्टल पर आमंत्रित निविदा में प्राप्त एकल निविदा एवं परिषद कार्यो के अन्तर्गत आमंत्रित एकल</p>	अभियंत्रण	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किये जाने</p>


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	निविदा के निस्तारण के सम्बन्ध में।		का निर्णय लिया गया।
256/14	<p>(A) परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में विज्ञापन का अधिकार निजी संस्था को दिये जाने तथा विज्ञापन एजेन्सी से अनुज्ञा धनराशि लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>(B) परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु निजी संस्था को अधिकार दिये जाने तथा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटियों से यूजर चार्ज लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>	अभियंत्रण	<p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p> <p>सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सालिड वेस्ट निस्तारण के संदर्भ में नगर विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।</p>
256/15	<p>(A) परिषद की विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक केन्द्रों हेतु आरक्षित एवं वर्तमान में रिक्त भूखण्डों पर पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, निर्माणोपरान्त संचालन एवं परियोजना लागत की वूसली के उपरान्त परिषद को हस्तान्तरण हेतु प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>(B) परिषद की विभिन्न योजनाओं में संचालित सामुदायिक केन्द्रों /कन्वेन्शन सेन्टर/ कल्याण मण्डप का संचालन एवं रख-रखाव निर्धारित अवधि के लिये प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दिये जाने हेतु बिड</p>	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव (ए), (बी) अनुमोदित किया गया।

	प्रपत्रों की शर्तों में आंशिक संशोधन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।		
256/16	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत 220 के0वी0 जी0आई0एस0 विद्युत उपकेन्द्र वसुन्धरा, गाजियाबाद के निर्माण हेतु सेक्टर-2ए वसुन्धरा में, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड को 4.0 एकड़ भूमि के निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
256/17	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना से सटी हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रताप विहार लिगेसी साइट से लिगेसी सालिड वेस्ट का बायो रिमेडिएशन पद्धति से निस्तारण कराने हेतु नगर निगम को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/18	नोएडा एवं गाजियाबाद में पेयजल आपूर्ति हेतु अपर गंगा नहर से 100 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 2021-22 के विस्तृत प्राक्कलन की धनराशि रु0 2742.63 लाख के सापेक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का अंश (5.00 प्रतिशत की धनराशि) रु0 137.13 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/19	Development of six-lane access controlled in Uttar Pradesh portion of Delhi-Saharanpur Highway from Delhi/U.P Border to EPE Junction (Ch. 14.750 to Ch 31.600) in the state of Uttar Pradesh Economic Corridor in Phase-1 of Bharatmala Pariyojna (Pkg-II)- Reg: Request for banding over 5.65 Hec land for	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	construction of entry and exit ramp for Mandola Vihar Scheme.		
256/20	श्री हरि ओम गुप्ता (सेवा निवृत्त, दिनांक 30-06-2022) सहायक अभियन्ता (अधिशासी अभियन्ता के कर्तव्यों/दायित्वों हेतु अधिकृत) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ.एस.डी. के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/21	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-15/काम०-2, के क्रय योग्य एफ०ए०आर० मानचित्र स्वीकृति हेतु देय एफ०ए०आर० शुल्क पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति (H.L.C) में रख कर निस्तारित कराये जाने का निर्णय लिया गया।
256/22	क्रय योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष निर्माण हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में सी०टी०सी०पी० की राय लेकर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/23	विभिन्न निर्माण क्षेत्रफल के आधार पर एक समान समय रिवैलिडेशन शुल्क नीति निर्धारण के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में सी०टी०सी०पी० की राय लेकर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/24	मा० परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या-14 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिषद की पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी में श्री राजकुमार पटेल एवं अन्य काश्तकारों से सम्बन्धित विवादित भूमि के समाधान के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में एक कमेटी का गठन करते हुए प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत मा० परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

256/25	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-उतरठिया के खसरा संख्या-543 की क्षेत्रफल 769.71 वर्गमी० भूमि को वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में एक कमेटी का गठन करते हुए प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत मा० परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/26	परिषद की वृन्दावन योजना सं०-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-कल्ली पश्चिम में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/27	परिषद की सुल्तानपुर रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बरौली खलीलाबाद के खसरा सं०-1665/9 में मै० डी-मैक्स डेवलपर्स, प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी 1.77 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है तथा पूर्व में बोर्ड की 249वीं बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद सं० 249/9 पर प्रकरण के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय निरस्त किया जाता है।
256/28	मा० न्यायाधिकरण आगरा में संविदा पर तैनात पीठासीन अधिकारी के निजी सचिव श्री आर०बी०एल० अग्रवाल का संविदा वेतन रु० 8000.00 से बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिषद में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर को निर्धारित देय धनराशि रु० 14491.00 अनुमोदित किया जाता है।
256/29	(A) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में। (श्री प्रकाश चन्द्र, सहायक लेखाधिकारी, श्री मुकुट बिहारी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) (B) स्व० राम प्रकाश तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव 256/29 के बिन्दु A से H तक का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।

(C) श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सहकारी अधिकारी(आवास) की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।

(D) 1- श्री राजेन्द्र कुमार, सहकारी अधिकारी आवास

2- श्री अमीता श्रीवास्तव, सहायक वास्तुविद नियोजक

3- श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ सहायक

4- स्व० मिठाईलाल, चैकीदार

5- स्व० संतोष कुमार तिवारी, कार्य०प्रभा०कर्म०

6- श्री के०पी० त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता

(E) श्री ओ०पी० पाण्डेय, सेवानिवृत्त, आशुलिपिक की पत्नी की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।

(F) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।

(G) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।

(H) श्री प्रकाश चन्द्र, सहायक लेखाधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर

My

Amal




	निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।		
256/30	परिषद स्टाफ भवन में अध्यासित परिषद कार्मिकों को निजी रूप से आवंटित करने के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/31	मै0 यूपीडेस्को के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण कार्यो हेतु तकनीकी सेवाओं की प्राप्ति हेतु दिनांक 01-04-2022 से 30-04-2022 अवधि तक (एक माह) स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/32	(A) अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री सी0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-02 गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, लखनऊ के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच समाप्त किये जाने का अनुमोदन प्राप्त करने एवं सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताओं, श्री जय जय राम एवं श्री सीताराम चौहान के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच समाप्त किये जाने हेतु लिये गये निर्णय को अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में। (B) अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री डी0एस0 बिष्ट, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विरुद्ध संस्थित विभागीय	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।  सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

As

Amr

	जाँच में पायी गयी अनियमितता के दृष्टिगत, उनके के पेंशन से 05 प्रतिशत धनराशि की कटौती 05 वर्षों तक किये जाने का दण्ड देते हुए, उक्त गठित विभागीय जाँच को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।		
256/33	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार सक्सेना, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, श्री प्रमोद कुमार, सम्प्रति सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, श्री अशोक कुमार भाटिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, श्री राम नरेश पाल, सम्प्रति सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक, श्री कन्हई प्रसाद, सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, श्री पी0सी0 जोशी, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सम्प्रति सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, श्री शैलेन्द्र सक्सेना, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, श्री ध्रुव शंकर अवस्थी, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, श्री राजेश नरायण सक्सेना, सम्प्रति सेवानिवृत्त लेखाकार व श्री राम नरेश यादव सम्प्रति सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँचे गठित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/34	परिषद के वित्त/लेखा संबंधी कम्प्यूटरीकरण कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत 30प्र0 सरकार की नोडल एजेन्सी मेसर्स	कम्प्यूटर सेल	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में जेम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया।





	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ के माध्यम से वेब आधारित साफ्टवेयर माड्यूल विकसित/इम्प्लीमेंट कराये जाने के सम्बन्ध में।		
256/35	परिषद मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के परिसर में 41 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में।	अनुरक्षण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/36	वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेंसशीट/वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
256/37	पेंशनर्स (जो छठे वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं) को दिनांक 01-07-2018 से 148% दिनांक 01-01-2019 से 154% दिनांक 01-07-2019 से 164% एवं दिनांक 01-07-2021 से 189% की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
256/38	बेतियाहाता (दक्षिणी) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर में 1.90 एकड़ अर्जन मुक्त भूमि मे से 82.35 वर्गमी0 भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
256/39	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं0-4 /बी0 एस0-2/4 की विवाद रहित भूमि के नियोजन एवं कब्जे के सम्बन्ध में।(पिछली 255/6 की बैठक से)	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/40	नोट बन्दी, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रियल इस्टेट सेक्टर में व्याप्त भारी मन्दी के दृष्टिगत, परिषद की वसुन्धरा	अभियंत्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

	<p>योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 एवं 8 में, सम्पत्तियों के नियोजन एवं उनके विक्रय के सम्बन्ध में परिषद द्वारा नियुक्त Consultant / Transaction Advisor द्वारा दिये गये अभिमत/ प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p> <p>(पिछली 255/20 की बैठक से)</p>		
256/41	<p>(A) परिषद की 252/29वीं बैठक के विभिन्न मदों के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के अनुपालन किये जाने के संबंध में।</p> <p>(पिछली 255/26 की बैठक से)</p> <p>(B) इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भवन संख्या-बी-9 (क्षेत्रफल 800.00 वर्गमी०) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने के संबंध में।</p> <p>(पिछली 255/26 बैठक से)</p>	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण (ए), (बी) के संदर्भ में नीति बनाकर बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तब तक के लिए प्रस्ताव स्थगित किया जाता है।
256/42	<p>मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, कानपुर की भूमि दर निर्धारण के संबंध में।</p> <p>(पिछली 255/31 की बैठक से)</p>	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
256/43	<p>परिषद की योजनाओं में समायोजित की गयी भूमि पर निर्धारित आसुधार शुल्क/विकास शुल्क की मांग पत्र में एकरूपता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>(पिछली 255/36 की बैठक से)</p>	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में सी०टी०सी०पी० राय के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

256/44	परिषद की वृन्दावन योजना सं0-2, भाग-1, लखनऊ में अवैध रूप से निर्मित स्वास्थ्य विहार कालोनी में वर्ष-2002 से पूर्व के स्थित अवैध निर्माणों के समायोजन के सम्बन्ध में। (पिछली 255/28 की बैठक से)	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में एक कमेटी का गठन करते हुए प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत मा० परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/45	30प्र0 सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2014 को 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत सन्निहित शासनादेश सं0-1853 दिनांक 10-10-2011 के अनुरूप 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लेखा संवर्गीय ढांचा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
256/46	परिषद की अवध विहार योजना के अन्तर्गत मंदाकिनी एन्क्लेव स्थित फ्लैट संख्या-2ए/टी-12-404 के सापेक्ष निर्गत ओ0टी0एस0 के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/47	परिषद की राजाजीपुरंम एवं इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवंटन के पश्चात अदेयता के आधार पर निरस्त सम्पत्तियों के काल बाधित प्रकरणों के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/48	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-कल्ली पश्चिम के खसरा संख्या-1070 व 1075 की भूमि के सापेक्ष 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड एवं 25 प्रतिशत भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में एक समिति बनाकर परीक्षण करके आगामी बोर्ड बैठक में लिये जाने का निर्णय लिया गया।

256/49	मझोला योजना संख्या-4, भाग-1 मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या-143 व 149 तथा 141, 142 व 144 की भूमि वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/50	मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2021 के क्रम में बेतियाहाता दक्षिणी योजना, गोरखपुर में समाविष्ट खसरा संख्या-257 रकबा 0.51 एकड़, खसरा संख्या-254 रकबा 0.30 एकड़, खसरा संख्या-255/1 रकबा 0.18 एकड़, खसरा संख्या-255/2 रकबा 0.18 एकड़, खसरा संख्या-291/1 रकबा 0.31 एकड़, खसरा संख्या-291/2 रकबा 0.31 एकड़, खसरा संख्या-292/1 रकबा 0.03 एकड़ एवं खसरा संख्या-292/2 रकबा 0.03 एकड़, कुल क्षेत्रफल 1.85 एकड़ में क्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 01.01.2022 को की गयी संस्तुति के क्रम में भू-स्वामित्व रखने वाले अवैध कब्जाधारकों को वर्तमान प्रचलित दर पर आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
256/51	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, मथुरा के ग्राम-अल्हैपुर की समाविष्ट भूमि के अन्तर्गत काश्तकार श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा खसरा संख्या-85 की भूमि को लैण्ड पुलिंग स्कीम के अन्तर्गत	भूमि अर्जन	1- सर्वसम्मति से समययक् विचारोपरांत यह पाया गया कि, यदपि प्रकरण शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग हेतु घोषित नीति दिनांक 20.02.2019 से पूर्णतया: आच्छादित नहीं है। परन्तु उपरोक्त नीति में आपसी सहमति से किसानों को

	<p>वाणिज्यिक विकसित भूमि परिषद के नियम एवं शर्तों के अधीन योजना में समाहित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>विकसित आवासीय भूमि का न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि देने का प्राविधान है।</p> <p>2- आवास विकास परिषद में विकसित आवासीय भूमि की दर विकसित व्यावसायिक भूमि की आधी होती है। आपसी सहमति के आधार पर यदि कृषक को 12.5 प्रतिशत विकसित व्यावसायिक भूमि दी जाती है तो यह विकसित 25 प्रतिशत आवासीय भूमि के समतुल्य होगी।</p> <p>3- उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि योजना का मथुरा दिल्ली रोड पर वर्तमान में कोई प्रवेश न होने के कारण योजना की विक्रयशीलता प्रभावित होगी योजना में दिल्ली रोड से प्रवेश हेतु प्रश्नगति भूमि अपरिहार्य है अतः परिषद को उपरोक्त योजना को चलाये जाने हेतु इस समझौते की अपरिहार्यता के दृष्टिगत इस शर्त के साथ प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाता है कि कृषकों को इस भूमि के सम्बन्ध में अलग से कोई मुआवजा देय नहीं होगा तथा व्यावसायिक भूमि का रकबा परिषद द्वारा पूर्व से निर्धारित व्यावसायिक रकबे की सीमा के अन्दर ही होगा। इस समझौते के अन्तर्गत यदि अन्य कृषक भी आवेदन</p>
--	--	---

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

			करते हैं तो उक्त शर्तों के अधीन निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
256/52	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट राधा स्वामी पार्क प्लॉट होल्डर्स सहकारी गृह निर्माण समिति लि० गाजियाबाद की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	<p>प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 2006 से स्थगन आदेश प्रभावी है, जिसके कारण अत्याधिक मात्रा में भूमि नियोजन से वंचित है। आवास एवं विकास परिषद का मूल उद्देश्य भूमि का नियोजन करके नियोजित विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विवाद को सुलझाने के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-</p> <p>1- 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवासीय प्रयोग हेतु निःशुल्क दी जायेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि यह भूमि छोटे-छोटे भूखण्डों के रूप में नहीं दी जायेगी। यह एक सिंगल भूखण्ड के रूप में दी जायेगी।</p> <p>2- उक्त के अतिरिक्त 25 प्रतिशत भूमि समिति को वर्तमान दर पर आवासीय/ग्रुप हासिंग प्रयोग हेतु आवंटित की जायेगी। इसमें जिस प्रयोग के लिये समिति द्वारा मांग की जा रही है उसी प्रयोग की वर्तमान दर उनसे ली जायेगी।</p> <p>3- समिति एवं उसके सदस्यों द्वारा समस्त वाद वापस लिये जानें के उपरान्त ही उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>4- समिति एवं उसके सदस्यों</p>








			को उपरोक्त के अतिरिक्त कोई मुआवजा आदि देय नहीं होगा।
256/53	परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम सरसवां के खसरा संख्या-985, 986, 1026, 1062, 1063, 1065, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081 एवं 1103ख के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
256/54	श्री रामपाल भास्कर, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत उनकी पेंशन से 05% कटौती 05 वर्षों तक किये जाने का दण्ड दिये हेतु प्रस्ताव।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/55	जनपद अयोध्या के तहसील रूदौली में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनवा के निर्माण को पूर्ण करने हेतु रु0 18.00 लाख की धनराशि को सेन्टेज की मद से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
256/56	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		



अनुमोदित  
  
 6/7/22  
 (जितिन रमेश गोकर्ण)  
 अध्यक्ष